

16/11/17

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

डा0 प्रशान्त सिन्हा, उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा एवं श्री राधेश्याम सुमन, अवकाश रक्षित पदाधिकारी के कारा निरीक्षणालय में योगदान के फलस्वरूप मुख्यालय स्थित पदाधिकारियों के बीच कार्य आवंटन निम्नरूपेण किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित प्रशाखा/कार्य
1	2	3
1	श्री राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.)	(i) राजपत्रित पदाधिकारी स्थापना एवं निगरानी। (ii) प्रोबेशन शाखा का वरीय प्रभार। (iii) विधि प्रशाखा का वरीय प्रभार। (iv) जे0पी0 पेंशन योजना।
2	श्री लियोनार्ड तिकी, निदेशक, प्रोबेशनचर्या	(i) प्रोबेशन शाखा। (ii) अपराध पीड़ित कल्याण न्यास से संबंधित कार्य।
3	डा0 परमेश्वर पाण्डेय निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा	(i) स्वास्थ्य सेवा से संबंधित राजपत्रित पदाधिकारियों की स्थापना एवं निगरानी से संबंधित कार्य। (ii) आवर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना, केन्द्रीय कारा, बक्सर, केन्द्रीय कारा, गया शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के निरीक्षण संबंधी कार्य।
4	डा0 प्रशान्त सिन्हा उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा	(i) मिश्रक एवं परिधापक की स्थापना एवं निगरानी संबंधी कार्य। (ii) शहीद जुब्बा सहनी, केन्द्रीय कारा, भागलपुर, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के निरीक्षण संबंधी कार्य।
5	श्री पी.एन. सिंह, उप महानिरीक्षक (सु.से.)	(i) प्रशिक्षण प्रशाखा एवं बैठकों से संबंधित नोडल पदाधिकारी। (ii) मानवाधिकार।
6	श्री नीरज कुमार झा, उप महानिरीक्षक (प्र0)	(i) कारा कर्मशाला, उद्योग, भवन एवं कारा आधुनिकीकरण प्रशाखा (बजट संबंधी कार्यों को छोड़कर)। (ii) बंदी कल्याण एवं बंदी परिवाद। (iii) कारा प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना तकनीक से संबंधित सभी कार्य।
7	श्री अंजनि कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी	(i) सभी संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों की स्थापना एवं निगरानी संबंधी कार्य (कक्षपाल संवर्ग को छोड़कर)। (ii) मुख्यालय स्थापना एवं निगरानी। (iii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार, लोक सूचना अधिनियम 2005
8	श्री राजीव कुमार झा, सहायक कारा महानिरीक्षक	(i) लेखा प्रशाखा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी। (ii) विधायी एवं जन शिकायत प्रशाखा। (iii) बंदी शाखा।
9	श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र)	(i) बिहार कारा हस्तक, 2012 में वर्णित सहायक महानिरीक्षक कारा (क्षेत्र) के लिए वर्णित सभी प्रकार के कार्य। (ii) बंदी सांख्यिकी एवं अंकेक्षण।
10	विधि पदाधिकारी	(i) विधि प्रशाखा। (ii) मानवाधिकार की संचिकाएँ श्री राजेश रंजन मिश्र, विधि पदाधिकारी के माध्यम से उप महानिरीक्षक (सुधार सेवाएँ) के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।
11	श्री रामगति सिंह, उप निदेशक, (बजट एवं लेखा)	(i) बजट संबंधी कार्य। (ii) क्षेत्रीय लेखा का सत्यापन।
12	श्री राधेश्याम सुमन, अवकाश रक्षित पदाधिकारी	(i) कक्षपाल स्थापना एवं निगरानी।

2. (i) अवकाश में रहने की स्थिति में संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) तथा श्री अंजनि कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी परस्पर एक-दूसरे के कार्यों का सम्पादन करेंगे।

(15)

(ii) अवकाश में रहने की स्थिति में श्री नीरज कुमार झा, एवं श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र) परस्पर एक-दूसरे के कार्यों का सम्पादन करेंगे ।

(iii) श्री राजीव कुमार झा, सहायक कारा महानिरीक्षक के अवकाश में रहने की स्थिति में उनको आवंटित कार्यों का सम्पादन श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र) द्वारा किया जायेगा।

(iv) श्री पी0 एन0 सिंह, उप महानिरीक्षक (सुधार सेवाएँ) के अवकाश में रहने की स्थिति में उनको आवंटित कार्यों का सम्पादन श्री नीरज कुमार झा, उप महानिरीक्षक (प्र0) द्वारा किया जायेगा।

(v) संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) तथा विशेष कार्य पदाधिकारी एक साथ दोनों के अवकाश में रहने की स्थिति में उनको आवंटित कार्यों का सम्पादन श्री नीरज कुमार झा, उप महानिरीक्षक (प्र0) द्वारा किया जायेगा।


(vi) अवकाश में रहने की स्थिति में श्री राधेश्याम सुगन, अवकाश रक्षित पदाधिकारी को आवंटित कार्य का सम्पादन श्री नीरज कुमार झा, उप महानिरीक्षक (प्र0) द्वारा किया जायेगा।

(vii) औषधि एवं चिकित्सीय उपकरण संबंधी संचिका उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा, निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा के माध्यम से संचिका महानिरीक्षक को पृष्ठांकित की जायेगी।

(viii) अवकाश में रहने की स्थिति में निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा एवं उप निदेशक, कारा चिकित्सा सेवा परस्पर एक-दूसरे के कार्यों का सम्पादन करेंगे ।

3. कार्य आवंटन के संबंध में पूर्व से निर्गत सभी आदेश यथा संशोधित माना जायेगा।

4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।



महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापक:- कारा/स्था0 (मु0) 05/21017 7251

पटना, दिनांक- 22/12/2017।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक एवं कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री. जमालुद्दीन अंसारी
प्र० प०


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)


कार्यालय आदेश

श्री खगेश चन्द्र झा, उप सचिव, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके मुख्यालय से संबंधित आवंटित कार्य, जो विभागीय आदेश ज्ञापांक-808 दिनांक-06.02.2018 द्वारा संसूचित है, को मुख्यालय स्थित निम्न पदाधिकारियों के बीच अपने कार्यों के अतिरिक्त निम्नरूपेण आवंटित किया जाता है :-


क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित प्रशाखा/कार्य
1	2	3
1	श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र)	मानवाधिकार से संबंधित कार्य।
2	श्री राधेश्याम सुमन, अवकाश रक्षित पदाधिकारी	कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में प्रशिक्षण प्रशाखा एवं बैठकों से संबंधित नोडल पदाधिकारी।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।


3. इस पर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ का अनुमोदन प्राप्त है।



विशेष कार्य पदाधिकारी
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/स्था० (मु०) 16/2010 2751 पटना, दिनांक-4/5/2018।
प्रतिलिपि:- कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक एवं कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/स्था० (मु०) 16/2010 2751 पटना, दिनांक-4/5/2018।
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०), बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

श्री संजय कुमार चौधरी

4.5.18


विशेष कार्य पदाधिकारी
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।